



244

HON'BLE BOARD OF REVNUUE
GWALIOR, MADHYA PRADESH

Revision No...../2017

III/किरानी/श्यापुर/भू.स/2017/4113 **Cause Title**

Petitioners

- (1) Ajay Kumar S/o Premnarayan, Age 32 Years, Occupation: Agriculture and Business
 - (2) Premnarayan s/o Laddulal Vaishya, Age 61 Years, Occupation: Agriculture and Business
- Both are the residents of Main Chouraha, Godha Bazaar, Sheopur (M.P.)

श्री. अनिल कुमार
द्वारा आज दिनांक 11-11-17 को
प्रस्तुत
कलेक्टर ऑफ कोटा-11-17
गणसब मण्डल म.प्र. ग्वालियर
न/टो पेट 3-11-17
11/3-11-17

Versus

Respondents

- (1) The Collector Sheopur, District Sheopur (M.P.)
- (2) The Tahsildar, Tahsil and District Sheopur (M.P.)

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE, 1959 ARISING OUT OF THE ORDER DATED 23.10.2017 PASSED BY THE LEARNED COLLECTOR, SHEOPUR (M.P.) IN SUO MOTU REVISION NO.11/10-11/स्व-निग./अपर कलेक्टर/ REVERSING THE ORDER DATED 27.08.2007 PASSED BY THE TAHSILDAR, TAHSIL AND DISTRICT SHEOPUR (M.P.) IN CASE No. 43/06-07/अ-6

श्री. अनिल कुमार
द्वारा आज दिनांक 11-11-17 को
प्रस्तुत
कलेक्टर ऑफ कोटा-11-17
गणसब मण्डल म.प्र. ग्वालियर
न/टो पेट 3-11-17
11/3-11-17

May it please this Hon'ble Board;

The petitioners humbly submit the memo of revision as

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग./शयोपुर/भू.रा./2017/4113

जिला- शयोपुर

अजय कुमार आदि विरुद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- शयोपुर के प्रकरण क्रमांक 11/2010-11/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p> <p>(जे० के० जैन) सदस्य</p>	